

FAN
mail

पत्र संख्या- 1/प्रा0आ0-0-3-35/2017.....51...../आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक- 18/7/17

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष -102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष -0005-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड-39-2245801020005 मद में कुल ₹ 380.00 लाख (तीन करोड़ अस्सी लाख रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष -2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष -102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष -0005-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष -102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध।
उपशीर्ष -0005-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण

मांग संख्या- 39, विस्तृत शीर्ष- 21-सामग्री और आपूर्ति, विषय शीर्ष- 01-सामग्री एवं पूर्तियाँ
(राशि रुपये लाख में)

क्र०	जिला का नाम	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	पटना	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
2	भोजपुर	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
3	बक्सर	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
4	सारण	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
5	सीवान	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
6	गोपालगंज	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
7	मुजफ्फरपुर	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
8	वैशाली	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
9	सीतामढ़ी	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
10	शिवहर	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
11	पूर्वी चम्पारण	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
12	पश्चिम चम्पारण	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)

13	दरभगा	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
14	मधुबनी	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
15	समस्तीपुर	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
16	बेगूसराय	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
17	खगड़िया	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
18	मुंगेर	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
19	लखीसराय	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
20	भागलपुर	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
21	सहरसा	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
22	मधेपुरा	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
23	सुपौल	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
24	पूर्णियाँ	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
25	कटिहार	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
26	अररिया	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
27	किशनगंज	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
28	नालंदा	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
29	गया	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
30	नवादा	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
31	जहानाबाद	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
32	औरगाबाद	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
33	रोहतास	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
34	बाँका	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
35	कैमूर	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
36	शेखपुरा	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
37	जमुई	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
38	अरवल	0.00 (शून्य)	10.00 (दस लाख)	10.00 (दस लाख)
कुल योग		0.00 (शून्य)	380.00 (तीन करोड़ अस्सी लाख)	380.00 (तीन करोड़ अस्सी लाख)

4. यह आवंटन विभागीय पत्रांक 1982/आ0प्र0 दिनांक 10.07.2017 द्वारा दिये गए निदेश के आलोक में जिला स्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्रों के सृष्टीकरण के निमित्त सामग्रियों / उपस्करों के क्रय हेतु निर्गत किया जा रहा है।

5 आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6 आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

7. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, तो 15.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

10. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक


निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

11. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।


12. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

13. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


अपर सचिव

ज्ञापांक- 51 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 18/7/17
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर सचिव


ज्ञापांक- 51 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 18/7/17
प्रतिलिपि: सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव

मुख्यशीर्ष- 2245-80-102-0005 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण पत्रांक 51 दिनांक 18/7/17


ज्ञापांक- 51 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 18/7/17

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव


ज्ञापांक - 51 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 18/7/17

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर सचिव

ज्ञापांक- 51 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 18/7/17

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव